

(V) धारा 4(1) बी-(V) संस्था द्वारा संधारित नियम, विनियम, अधिनियम जो इसके कर्मचारीयो द्वारा कर्तव्य निर्वहन में उपयोग किए जाते है।

पर्यावरण विभाग के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नियम / विनियम / अधिनियमों के अन्तर्गत संपादित करते है।